उपसभापति : आपका क्या प्रिविलेज है ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : मेरा तो है ही, उसके अलावा भी । मेरा केवल यह है कि इस विषय को मैंने एक सप्ताह पहले लिखकर दिया था और परसों उठा भी चुका हूं । मिनिस्ट्री आफ इन्फार्मेशन, डाइरेक्टर जनरल, दूरदशन और डाइरेक्टर जनरल, आल इंडिया रेडियो के विरुद्ध मैंने ब्रीच आफ प्रिविलेज का मोशन दिया था कि जो कुछ भी कार्यवाही में नहीं कहा गया था अर्थात् कार्यवाही का तोड़ मरोड़कर प्रसारण किया गया टेलीवीजन और आकाशवाणी में बूटा सिंह के मामले में । करीब दस दिन पहले मैंने लिखकर दिया था और पांच दिन पहले फिर सदन में उठाया था । लेकिन आज तक उसके संबंध में कोई कायवाही नहीं हुई है । क्या कार्यवाही हुई है, यह मैं जानना चाहता हूं ।

उपसभापति : आपको भी मेरा वही जवाब है ।

श्री लालकृष्ण आडवाणी : मैं एक बात कहूं ...

THE DEPUTY CHAIRMAN: I am not laughing. (*Interruptions*).

I am only saying that the procedure is such that when a privilege motion comes before the Chairman, he asks for the comments and when the comments come, then the Chairman decides whether this motion should be admitted or not on the basis of that and I assure you also that the Chairman has written for the comments and as soon as possible, the matter would be expedited and your concern will be put before the Chairman. That I can assure you. (*Interruptions*) Now, let us go back to the Bill.

श्री लालकृष्ण आडवाणी : मैं बारबार जो उठा रहा हूं उसका कारण यह है कि प्रिविलेज मोशन ऐसी चीज है कि उसमें अगर सदस्य की ओर से डिले हो जाता है प्रिविलेज मोशन का नोटिस देने में तो ....it is rejected on the ground that there has been a delay in giving this notice. Therefore, it is expected from the Chair also that it should be expeditions. 'As soon as possible is understandable. But if this 'soon' becomes so flexible that it becomes delayed, then that, in itself, constitutes contempt and breach of privilege. Therefore, I would plead with you that all these pending privilege notices be disposed expeditiously.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Sure. Mr. Advani, your point is wellnoted. I assure you that I will convey it to the Chairman and the matter will be expedited. This assurance I can give you. Now, legislative business.

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: Madam, you are the Chairman, guardian. You are not a postman.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Swamy, you are making me a policeman or a postman. I do not know. Let me be the Chairperson over here. Legislative business. Bill retruned by the Lok Sabha with amendments. The Punjab Pre-emption (Chandigarh and Delhi Repeal) Bill, 1988. Shri Santosh Mohan Dev.

PUNJAB PRE-EMPTION (CHANDIGARH AND DELHI REPEAL) BILL, 1988.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI SANTOSH MOHAN DEV): Madam, I beg to move:

"That the following amendments made by the Lok Sabha in the Punjab pre-emption Chandigarh and Delhi Repeal) Bill, 1988, be taken into consideration, namely:—

[Shri Santosh Mohan Dev]

Enacting Formula

1. That at page 1, line 1,——

for "Thirty-ninth" substitute "Forty-sixth"

Clause 1

2. That at page 1, line 4,——

for "1988" substitute "1989".

The question was put and the motion was adopted.

SHRI SANTOSH MOHAN DEV: Madam, I move:

"That the amendments made by the Lok Sabha in the Bill be agreed to."

The question was put and the motion was adopted.

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (उत्तर प्रदेश) : उपसभापति जी, आप कृपया मेरी बात सुन लें ।... (**व्यवधान**)

उपसभापति : नहीं यह उसी के साथ है ... (**व्यवधान**) और दोनों एक साथ पास हो जायें ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : वह यूनियन ड्यूटी आफ इक्साईज अलग है । यह तो बिल फार कनसेशन है... (**व्यवधान**)

उपसभापति : अच्छा मालवीय जी आप पहले बोलिये ।... (**व्यवधान**)

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : मेरा निवेदन है कि 2 मई को इस सदन में एक विषय को उठाया गया था जिसमें यह कहा गया था कि श्री नाजिर अली के साथ शाहजहांपुर में एक टी पार्टी में मैं भी था और उसी सिलसिले में श्री अजीत सिंह और भी विश्वनाथ प्रताप सिंह की भी चर्चा की गई ।

उसके बाद 9 मई को मैंने लिख कर निवेदन किया कि नाजिर अली के साथ प्रधान मंत्री, श्री राजीव गांधी श्रीवीर बहादुर सिंह, लोक सभा सदस्य थे और श्री श्रीपत मिश्र, जो मुख्य मंत्री थे... (**व्यवधान**)

उपसभापति : आप ब्रीच आफ प्रिविलेज पर बोल रहे हैं क्या ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : नहीं, मैं उस पर नहीं बोल रहा हूं ।

उपसभापति : तो फिर आप किस पर बोल रहे हैं ? क्या हमने जो अभी मोटर उठाया, उस पर बोल रहे हैं ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : मैं बोल रहा हूं, जो मैंने 9 मई को लिख कर दे रखा है ... (**व्यवधान**)

उपसभापति : देखिये, आपने चेयरमैन साहब को चिट्ठी लिखी है । चैयरमैन साहब उस पर गौर कर रहे हैं । वह जैसा मुझे कहेंगे ... (**व्यवधान**)

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : आज सदन उठ जाएगा । नौ मई से मेरा विषय विचाराधीन है ।

उपसभापति देखिये, आप मेरी बात सुनिये । जैसा चैयरमैन साहब मुझे आदेश देंगे, वही हम आपको इनफार्म कर देंगे । अब आप बिजनेस चलने दीजिए ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : आप मेरा निवेदन तो सुन लीजिए । मेरा निवेदन सिर्फ यह है कि जिस नाजिर अली के साथ पहले मेरी चर्चा की गई है, मैंने लिख कर दिया है कि उसी के साथ भारत के प्रधान मंत्री, श्री राजीव गांधी का चित्र है लोक सभा के सदस्य श्री जितेन्द्र प्रसाद का चित्र है और श्री वीर बहादुर सिंह का चित्र है... (**व्यवधान**), श्री अरुण कुमार सिंह का चित्र है... (**व्यवधान**)

उपसभापति : मालवीय जी, मैंने आपको कहा... (**व्यवधान**) देखिये यह चित्रों की बात नहीं चल रही है ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : मेरे साथ अन्याय हो रहा है ।

उपसभापति : यहां चित्रों की बात न करिए, हम लोग हाउस के अंदर बिजनेस कर रहे हैं । Let us not talk about photographs or newspapers. (*Interruptions*)

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : मैं फोटोग्राफ्स की बात नहीं कर रहा हूं । मैं चर्चा कर रहा हूं... (**व्यवधान**) मैं फोटोग्राफ्स की चर्चा नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ यह निवेदन कर रहा हूं कि माजिद अली के साथ प्रधान मंत्री, श्री राजीव गांधी, श्री वीर बहादुर सिंह, उत्तर प्रदेश के मिनिस्टर, श्री अरुण कुमार सिंह का... (**व्यवधान**)

उपसभापति : कृपया, आप लोग बैठ जाइये । मालवीय जी, मैंने आपको बोलने की अनुमति नहीं दी है । मेरी आपसे विनती है कि आप न बोले । बेकार है यदि आप बोलेंगे क्योंकि वह रिकार्ड नहीं करेंगे, क्या फायदा ।

मैंने आपको कह दिया, मैंने रुलिंग दे दी है । इसके बाद कुछ बोलना आपके लिए उचित नहीं है और मेरे लिये भी सुनना उचित नहीं है ।

श्री ईश दत्त यादव (उत्तर प्रदेश) : यह जनता का मामला है, इसलिए इसको उठाने का मौका दें । ... (**व्यवधान**)... यह गंभीर मामला है इसमें कांग्रेस के सारे मिनिस्टर लोग आए हुए है । .... (**व्यवधान**)

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now, the Union Duties of Excise (Distribution) Amendment Bill, 1989 and the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Amendment Bill, 1989. Shri B. K. Gadhvi.

I. UNION DUTIES OF EXCISE (DISTRIBUTION) AMENDMENT BILL, 1989

AND

II. ADDITIONAL DUTIES OF EXCISE GOODS OF SPECIAL IMPORTANCE) AMENDMENT BILL, 1989

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF EXPENDITURE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI B. K. GADHVI): Madam, I beg to move:

"That the Bill further to amend the Union Duties of Excise (Distribution) Act, 1979, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

Madam, I also beg to move:

"That the Bill further to amend the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

Madam, these two Bills arise out of the recommendations of the First Report of the Ninth Finance Commission for 1989-90 in terms of Article 280(3) of the Constitution. The Commission is required to make recommendations in regard to—

(a) the distribution between the Union and the States of the net proceeds of the taxes which are to be or may be divided between them under Chapter I of Part XII of the Constitution and the allocation between the States of the respective shares of such proceeds;

(b) the principles which should govern the grants-in-aid of the revenue of the States out of the Consolidated Fund of India; and

(c) any further matter referred to the Commission in the interests of sound finance.

Under Article 280(3) (c) of the Constitution the Commission, is re-